लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 054/2024(सू.अ.) (GCMS 2024/166)	दायर दिनांक 27-08-2024	निर्णय दिनांक 18-09-2024

अनवान

मादुलाल पिता नाथुलाल बैरवा निवासी मु0पो0 रेवाडा वाया पहुॅना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 9983597397)

अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 11.06.2024 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./054/2024(सू.अ.) (18.09.2024)/496 दिनांक 27.08.2024 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 18.09.2024 अपील अपीलार्थी ने अनुपस्थित रहे। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से पत्रांक/लो0सू0अ0/2024208 दिनांक 18.09.2024 से टिप्पणी/कर्मेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है, इसके साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई हैं जो कि शामिल पत्रावली हैं।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा प्रेषित कर्मेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी की और से प्रस्तुत अपील मेमों का गहनता पूर्वक अध्ययन/अवलोकन किया। तथ्यों का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प. 3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल है, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है।

हमने अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा प्रेषित कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां का गहनता पूर्वक अध्ययन/अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 11.06.2024 के संबंध में अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राशमी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 11.06.2024 से वांछित सूचना तहसीलदार राशमी से अपेक्षित होने से आवेदन पत्र तहसीलदार राशमी को अंतरित किया गया। इसके साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राशमी जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व/RTI/2024/400 दिनांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12.09.2024 से अपीलार्थी द्वारा वांछित सचूना अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई है, उक्त पत्रों की छाया प्रतियां पत्रावली पर उपलब्ध है।

इस प्रकार न्यायालय के समक्ष यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता हैं कि सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करा दी गई है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राशमी के विरूद्ध प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील सारहीन होने से खारीज किये जाने योग्य हैं।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन–पत्र दिनांक 11.06.2024 जो कि सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को प्रस्तुत किया गया बाबत् सारहीन होने से खारीज की जाती हैं।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **18.09.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official